(a) whether there is any proposal under Government's consideration for compulsory sterilisation after second living child;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Family Welfare Programme in India is being promoted on a voluntary basis.

मेडीकल कालेज, इन्दौर के लिए कोबाल्ट मशीन की खरीद

1128. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल कालेज, इन्दौर (मध्य प्रदेश) के लिये कोबाल्ट मशीन खरीदने के लिए अनुदान के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ख) यदि उक्त धनराशि अभी तक मंजूर नहीं की गयी है तो उसके कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इंदौर से संबद्ध एस० जी० कैंसर अस्पताल में एक कोबाल्ट मशीन लगाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 1992-93 के दौरान 50.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाधिकृत आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सक

1129. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, दिल्ली प्रशासन ने अपने अब तक के कार्यकाल में कितने अवैध/अनाधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(ख) उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अवैध/अनधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित दल में बोर्ड के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस दल द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिसमें इस प्रतिनिधि ने भाग लिया;

(ङ) क्या यह सच है कि उसने दल की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया; और

(च) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में स्वास्थ्य दशाओं के बारे में रिपोर्ट

1130. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ द्वारा देश की स्वास्थ्य संबंधी दशाओं पर प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस रिपोर्ट पर संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा भी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इस चर्चा की प्रमुख बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इसे लागू करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसे लागू करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां ।

(ख) कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) और (च) इस रिपोर्ट की जांच की जानी है ।

Blacklisting of Defaulting Drug Manufacturers

1131†. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether State level Food & Drug Administrations are submitting their reports to Central Government on defaulting Manufacturers of Drugs;

(b) whether Government have identified persistent defaulting manufacturers; if so, the details thereof, Statewise; and

(c) whether Government have notified Government/State Governments/ Municipal owned hospitals and other procuring agencies to blacklist such manufacturers from purchasing their Drugs ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) Although there is no such legal requirement, State Drug Controllers have been asked to report cases of sub-standard and spurious drugs.

†Previously Unstarred Question 391, transferred from 29-4-1993.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Central/State Government purchasing agencies do not buy medicines from blacklisted firms.

Cash Relief Payment to Kashmir Migrants

1132. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons in Noida, District Ghaziabad are receiving cash relief as are being given to Kashmiri migrants;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) steps being taken or proposed to be taken to stop payment to such persons and also to recover the amount already paid to them as cash relief ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) and (b) Government of U.P. have informed that only Kashmiri migrants, as per reverification done in October, 1992, are being given relief.

(c) It has been reported that wrong payment has been made to one kashmiri migrant instead of another kashmiri migrant and after the case was detected necessary legal action has been initiated.

Nonpayment of Cash Relief to Kashmiri Migrant in Ghaziabad

1133. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cash relief has not been paid to the Kashmiri migrants living in Ghaziabad after August, 1991;